अधिकतर पूछे जाने वाले प्रशन :-

प्रशन 1. बुढ़ापा पैंशन बनवाने के लिए क्या आवश्यक शर्तें हैं और क्या कागज-पत्र चाहिए।

उत्तर बुढ़ापा पैंशन बनवाने के लिए न्यूनतम आयु 60 वर्ष तथा पति व पत्नी की सभी साधनों द्वारा परिवार की वार्षिक अधिकतम आय दो लाख रूपए तक होनी चाहिये। बैंक / डाक-घर का अकाउंट नंबर, हरियाणा के स्थायी निवास का प्रमाण-पत्र, जन्म तिथि का प्रमाण-पत्र, दस वर्ष पुराना वोटर आई. डी., और आधार नंबर आदि दस्तावेजों की आवश्यकता होती है।

प्रशन 2. विधवा / निराश्रित पैंशन बनवाने के लिए क्या आवश्यक शर्तें हैं और क्या कागज-पत्र चाहिए।

उत्तर विधवा / निराश्रित पैंशन बनवाने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष, यदि आवेदक विधवा है तो स्वयं के सभी साधनों द्वारा वार्षिक अधिकतम आय दो लाख रूपए और यदि आवेदक निराश्रित महिला है तो परिवार के सभी सदस्यों की सभी साधनों द्वारा वार्षिक अधिकतम आय दो लाख रूपए तक होनी चाहिये। हरियाणा के स्थायी निवास का प्रमाण-पत्र, बैंक / डाक-घर का अकाउंट नंबर, वोटर आई. डी., और आधार नंबर आदि दस्तावेजों की आवश्यकता होती है।

प्रशन 3. दिव्यांग / नि:शक्त पैंशन बनवाने के लिए क्या आवश्यक शर्तें हैं और क्या कागज-पत्र चाहिए।

उत्तर दिव्यांग / नि:शक्त पैंशन बनवाने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष, सभी साधनों द्वारा परिवार की वार्षिक अधिकतम आय दो लाख रूपए तक होनी चाहिये। 60% - 100% नि:शक्ता का प्रमाण-पत्र, हरियाणा के स्थायी निवास का प्रमाण-पत्र, बैंक / डाक-घर का अकाउंट नंबर वोटर आई. डी., और आधार नंबर आदि दस्तावेजों की आवश्यकता होती है।

प्रशन 4. निराश्रित बच्चों की पैंशन बनवाने के लिए क्या आवश्यक शर्तें हैं और क्या कागज-पत्र चाहिए।

उत्तर निराश्रित बच्चों की पैंशन का लाभ परिवार के दो बच्चों तक जिनकी आयु 21 वर्ष से अधिक न हो, जिनके माता-पिता की मृत्यु हो चुकी हो / लम्बे समय से जेल में हों / लम्बी बीमारी या मानसिक रूप से बीमार हो, को दिया जाता है। पैंशन बनवाने के लिए हरियाणा के स्थायी निवास का प्रमाण-पत्र, सरंक्षक की सभी साधनों द्वारा परिवार की वार्षिक अधिकतम आय दो लाख रूपए तक, जन्म तिथि का प्रमाण-पत्र, बैंक / डाक-घर का अकाउंट नंबर, दस वर्ष पुराना वोटर आई. डी., और आधार नंबर आदि दस्तावेजों की आवश्यकता होती है।

प्रशन 5. लाड़ली पैंशन बनवाने के लिए क्या आवश्यक शर्तें हैं और क्या कागज-पत्र चाहिए।

उत्तर लाड़ली पैंशन बनवाने का लाभ केवल उन्ही बच्चों के परिवारों को दिया जाता है जिनमें केवल लड़की / लडकियाँ ही हों। इस योजना के तहत परिवारों का नामांकन माता या पिता के 45 वें जन्मदिन से शुरू होगा (जो भी पहले 45 वर्ष का होगा)। दोनों अपने 60 वें जन्मदिन तक या 15 साल तक इस योजना का लाभ ले सकतें हैं , इसके बाद वे बुढ़ापा पैंशन प्राप्त करने के पात्र होंगे। माता-पिता की मृत्यु के मामले में, जीवित साझेदार को यह लाभ तब तक मिलेगा जब तक वह 60 साल का नहीं हो जाता। इसके बाद वे बुढ़ापा पैंशन के पात्र होंगे।

लाड़ली पैंशन बनवाने के लिए हरियाणा के स्थायी निवास का प्रमाण-पत्र, जन्म तिथि का प्रमाण-पत्र, सभी साधनों द्वारा परिवार की वार्षिक अधिकतम आय दो लाख रूपए तक, बैंक / डाक-घर का अकाउंट नंबर, दस वर्ष पुराना वोटर आई. डी., और आधार नंबर आदि दस्तावेजों की आवश्यकता होती है।

प्रशन 6. 18 वर्ष से कम आयु के स्कूल न जाने वाले दिव्यांग / नि:शक्त बच्चों की पैंशन बनवाने के लिए क्या आवश्यक शर्तें हैं और क्या कागज-पत्र चाहिए।

उत्तर इस योजना के तहत मानसिक रूप से मंद और विकलांग बच्चों, जो कि 0-18 साल की आयु समूह में आते है तथा जो औपचारिक शिक्षा, प्रशिक्षण आदि में भाग लेने में सक्षम नहीं हैं। वे पूरी तरह से माता-पिता और रिश्तेदारों और उनके परिवारों की निरंतर निगरानी और देखभाल पर निर्भर है। यह पैंशन बनवाने के लिए हरियाणा के स्थायी निवास का प्रमाण-पत्र, जन्म तिथि का प्रमाण-पत्र, बैंक / डाक-घर का अकाउंट नंबर और आधार नंबर आदि दस्तावेजों की आवश्यकता होती है।

प्रशन 7. कश्मीरी विस्थापित परिवारों की पैंशन बनवाने के लिए क्या आवश्यक शर्तें हैं और क्या कागज-पत्र चाहिए।

उत्तर कश्मीरी विस्थापित परिवारों की पैंशन का लाभ उन परिवारों को दिया जाता है जो कश्मीर से विस्थापित हो कर हरियाणा के विभिन्न जिलों में रह रहे हैं। इस के लिए हरियाणा के स्थायी निवास का प्रमाण-पत्र, सभी साधनों द्वारा परिवार की वार्षिक अधिकतम आय दो लाख रूपए तक, जन्म तिथि का प्रमाण-पत्र, बैंक / डाक-घर का अकाउंट नंबर, वोटर आई. डी., और आधार नंबर आदि दस्तावेजों की आवश्यकता होती है।

प्रशन 8. किन्नर पैंशन बनवाने के लिए क्या आवश्यक शर्तें हैं और क्या कागज-पत्र चाहिए।

उत्तर किन्नर पैंशन बनवाने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। इस योजना के लाभ के लिए उसे किन्नर होने के समर्थन में सिविल सर्जन से प्रमाण पत्र, हरियाणा के स्थायी निवास का प्रमाण-पत्र, बैंक

/ डाक-घर का अकाउंट नंबर, वोटर आई. डी., और आधार नंबर आदि दस्तावेजों की आवश्यकता होती है।

प्रशन 9 . बौना पैंशन बनवाने के लिए क्या आवश्यक शर्तें हैं और क्या कागज-पत्र चाहिए।

उत्तर बौना पैंशन बनवाने के लिए एक पुरुष व्यक्ति जिसकी ऊंचाई 3 फीट 8 इंच या उससे कम होती है और स्त्री जिसकी ऊंचाई 3 फीट 3 इंच या उससे कम (70% विकलांग के बराबर) मासिक भत्ते के हकदार है। उनकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष, हरियाणा के स्थायी निवास का प्रमाण-पत्र, बैंक / डाक-घर का अकाउंट नंबर, वोटर आई. डी., और आधार नंबर आदि दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। आवेदक को सिविल सर्जन से बौने होने का प्रमाण –पत्र भी प्राप्त करना होगा।

प्रशन 10. पैंशन बनवाने का क्या प्रक्रिया है।

उत्तर लाभार्थी द्वारा किसी भी पैंशन का लाभ प्राप्त करने के लिए नजदीक के सामान्य सेवा केंद्र/ अटल सेवा केंद्र पर जा कर, सम्बंधित अधिकारी से अपना ऑनलाइन पंजीकरण करवाना होगा। वहाँ पर उसे अपने सम्बंधित पैंशन योजना के सभी दस्तावेज जैसे कि बैंक / डाक-घर का अकाउंट नंबर, जन्म तिथि का प्रमाण-पत्र, दस वर्ष पुराना वोटर आई. डी., और आधार नंबर आदि जमा करवाने होंगे। पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद SMS के माध्यम द्वारा लाभार्थी को अपनी पैंशन आई. डी. प्राप्त हो जाएगी।

अथवा

लाभार्थी स्वयं सरल पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकता है।

प्रशन 11. पैंशन बनवाने में अधिकतम कितना समय लगता है। यदि पैंशन बनवाने में ज्यादा समय लगे तो कहाँ शिकायत करें।

उत्तर पैंशन बनवाने के लिए RTS के अनुसार अधिकतम दो माह का समय लगता है। यदि किसी करणवश पैंशन बनने में दो माह से अधिक का समय लगता है तो लाभार्थी सम्बंधित जिले के जिला समाज कल्याण अधिकारी से अपने दस्तावेजों सहित सम्पर्क कर सकता है अथवा विभाग की वेबसाइट पर दिए गए हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज करवा सकता है।

प्रशन 12. यदि किसी करणवश पैंशन आना बंद हो जाये तो क्या करना चाहिए।

उत्तर यदि किसी करणवश पैंशन आना बंद हो जाये तो लाभार्थी सम्बंधित जिले के जिला समाज कल्याण अधिकारी से अपने दस्तावेजों सहित सम्पर्क कर के अपनी समस्या बता सकता है तथा उसके द्वारा बताए हुए निर्देशानुसार ही आगे की कार्यवाही करे।

प्रशन 13. **क्या मुझे पैंशन सम्बंधित दस्तावेजों (कागज-पत्रों) व फोटो प्रति की जाँच पड़ताल करवाने की आवश्यकता है ?**

उत्तर हाँ, आपकी पैंशन सम्बंधित दस्तावेजों (कागज-पत्रों) व फोटो प्रतियों की ब्लॉक/ जिला स्तर पर जिला समाज कल्याण (पैंशन) अधिकारीयों की जाँच पड़ताल के बाद ही, पैंशन स्वीकृत मानी जाएगी।